

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),

उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

1-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: शि०नि०(बे०)/मान्यता/38274-371 /2025-26 दिनांक 10/10/2025

विषय: अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 व शासनादेश संख्या-418/79-6-2013-एस(7)/89 दिनांक 08 मई 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक(प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक(जूनियर हाईस्कूल) स्कूल हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्त निर्धारित की गयी है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-13 में मान्यता दिये जाने हेतु निम्नवत प्राविधान है-

“प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।”

शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 में निहित शर्तों के अधीन निजी प्रबन्धतंत्र के अधीन संचालित विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है।

शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 निर्गत किया गया जिसमें पूर्व में निर्गत मान्यता संबंधी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 की शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर-13 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है तो औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रताप सिंह बघेल)

शिक्षा निदेशक (बेसिक),

उ०प्र० लखनऊ।

पृ०सं०: शि०नि०(बे०)/मान्यता/38274-371

/2025-26 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
- 2- विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- 3- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०, प्रयागराज।
- 5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र०, प्रयागराज।

(प्रताप सिंह बघेल)

शिक्षा निदेशक (बेसिक),

उ०प्र० लखनऊ।



कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

पत्रांक-
सेवा में,

2614-17 /2017-18

दिनांक- 31/05/17

प्रबन्धक,

उज्जवल माडल स्कूल कादीपुर हरिकेश, कप्तानगंज,
आजमगढ़।

विषय:-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन
विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं उज्जवल माडल स्कूल कादीपुर हरिकेश, कप्तानगंज, आजमगढ़ को दिनांक-01 जुलाई, 2016 से दिनांक-30 जून, 2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा एल0के0जी0 से कक्षा-8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ:-

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं:-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भंडागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई घर
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।
- 9- विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता कक्षाएँ नहीं चलायी जायेंगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा सप्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्या (वर्ष-2017/32) है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करत है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- संलग्न उपलब्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त:-

भवदीय,

(प्रमोद कुमार यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आजमगढ़।

पृ0सं0/

/2017-18/ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 2- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
- 3 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आजमगढ़।